06-2017-18
ओहरमानी बीबी

अनूसूची 14 फारम संख्या 562

आदेश पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम)

आदेश पत्रक–ता0..से..तक...................

जिला–पलामू से..सन.........................वाद्

का प्रकार–बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा4 (h) के तहत् जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

आदेश की क्र0स0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
12/06/24	झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा0, दिनांक 15.07.2020 एवं अपर समाहर्ता, पलामू के पत्रांक 997/रा0, दिनांक 31.07.2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की अवैध/संदेहास्पद जमाबन्दी से संबंधित अभिलेख खोलकर निर्णय लेने का आदेश दिया गया है। हल्का राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित भूमि की विवरणी। मौजा 5 6 2 [illegible] थाना न0 560 खाता संख्या 60 प्लॉट संख्या 176 रकबा 0.19 [illegible] एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद झारखण्ड सरकार की खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द सं0 III के पृष्ठ संख्या 64 पर जमाबंदी रैयत ओहरमानी बीबी पिता रवदेरन मियाँ के नाम से कायम है। संबंधित पक्षकार को नोटिस निर्गत करें एवं अभिलेख दिनांक 19/06/2024 उपस्थापित करें। 12/6/24 अंचल अधिकारी, पाण्डू,पलामू।	

Scanned with CamScanner

19/06/24 अभिलेख उपस्थापित नोटिस तामिला कराया गया। पाण्डु थाना में तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। जोहरमानी बीबी पति स्वदेश मियाँ ग्राम छेछुआ थाना पाण्डु जिला पलामू द्वारा कोई कागजात भूमि से संबंधित प्रस्तुत नहीं किया गया। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग करें।

अंचल अधिकारी
पाण्डु

24/06/24 अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा छेछुआ के खाता सं0 60 प्लॉट नं0 171 रकबा 25.00 ~~6.42~~ एकड़ मांग पंजी II में दर्ज नहीं है एवं खतियान अनुसार ऑनलाइन में दर्ज किस्म जंगल झाड़ी गैरमजरुआ मालिक दर्ज है। राजस्व उप निरीक्षक अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन संलग्न। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अवैध जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा किया जाता है।
अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर मेदिनीनगर को भेजें।
लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी
पाण्डु

अंचल अधिकारी
पाण्डु

Scanned with CamScanner

कार्यालय अंचल अधिकारी, पाण्डू (पलामू)।

नोटिस पत्रांक 122 / दिनांक 12/6/2024

वाद् अभिलेख संख्या 06/2017-18 (अर्न्तगत धारा –4(h) BLR Act 1950

प्रेषित

जोहरमानी बीबी
पति खदेरन मिया
ग्राम– दरूवा
थाना– पाण्डू, पलामू।

विषय :– भूमि संबंधी कागजात उपलब्ध कराने के संबंध में।

चूँ बजरिय इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मौजा दरूवा थाना नं0 660 खाता सं0 60, प्लॉट सं0 176 कुल रक्वा 19 डी0 किस्म जंगल झाडी, गैरमजरूवा मालिक दर्ज है। प्रथम दृष्या राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक से माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदन किया गया है।

अतएव आप उक्त संबंध मे दिनांक 19/6/24 को समय 12:00 बजे पूर्वाह्न/अपराह्न मे उक्त भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा,भूतपूर्व जमीनदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीदों,फॉम–एम एवं सरकार मे जमीदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व भूमि पर दावे की पृष्टि करता है, भूमि संबंधित सभी राजस्व कागजात साथ स्वयं अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति मे समझा जायेगा कि उक्त के संबंध मे आपको कुछ नही कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज /साक्ष्यों के आधार पर सामुचित निर्णय पर पहुचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध मे युक्ति निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुसंसा कर दी जाएगी।

इसे सख्त ताकिद समझें।

12/6/24
अंचल अधिकारी,
पाण्डू,पलामू।

15/06/24

कार्यालय अंचल अधिकारी पाण्डू पलामू

Scanned with CamScanner

सेवा में,

अंचल अधिकारी
पाण्डु, पलामू।

विषय :- मौजा - दरूआ के खाता नं० :- 60, प्लाट नं० :- 176, रकबा :- 0.12 एकड़ भूमि से संबंधित जाँच प्रतिवेदन

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कार्यालय में उपलब्ध मांग - पंजी - II से मिलान किया जो निम्न है।

(1) गत सर्वे खतियान अनुसार ऑनलाइन में दर्ज मौजा - दरूआ, खाता - 60, प्लाट - 176, रकबा 25.00 एकड़ किस्म - जंगल झाड़ी, गैरमजरूआ मालिक दर्ज है।

(2) कार्यालय में उपलब्ध मौजा - दरूआ के मांग पंजी - II के ~~[illegible]~~ पेज नं० 64/III में अभिधारी रैयत :- जोहरमानी बीबी पिता - खदेरन मियाँ, खाता - 60, प्लाट - 176, रकबा 0.12 एकड़ भूमि दर्ज है।

(3) उक्त भूमि अभिधारी रैयत को विक्रय पत्र नं० :- 10790 दिनांक 02-11-1994 विक्रेता - मो० उस्मान अंसारी, जान मोहम्मद पिता - खदेरन मियाँ से प्राप्त है।

अतः जाँच प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु श्रीमान को समर्पित।

Rajesh
R.S.I.

Scanned with CamScanner

कार्यालय–अंचल अधिकारी,पाण्डू ,पलामू।

आम–इस्तीहार

वाद् अभिलेख संख्या.......................................(अंतर्गत धारा–4(h) BLR Act,1950

सूचना

बनाम

श्री जोहतमानी बीबी
ग्राम दरूआ
ग्राम पंचायत तिसिबार कला

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा. **दरूआ** थाना न0 **660** खाता न0 **60** प्लॉट संख्या. **176** रकबा **0.19** ए0 से संबंधित आपके नाम से हल्का 0न0 **–3** के पंजी–II भागके पृष्ठ ... पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टता राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरांत संदिग्ध प्रतिवेदन किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 14.08.2020 को समय 11:00 बजे पूर्वाहन में उक्त भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमीनदार द्वारा निर्गत जमीदारी रसीदों, फॉर्म–एम एवं सरकार में जमीदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व भूमि पर दावे की पुष्टि करता है, के साथ अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकाष्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति मे समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नही कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुचते हुये दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने

कार्यालय अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी,
पाण्डू ,पलामू।

Digitally signed by RANBIR KUMAR
Date: 2024.07.23 14:24:23 +05:30
Location: 192.168.4.181

Scanned with CamScanner